OECD

BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (द ऑर्गनाइजेशन फॉर कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट - ओईसीडी) के 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के सिद्धांत

OECD क्षेत्रीय विकास नीतत सममतत द्ािा 11 मई, 2015 को अपनाया गया

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के सिद्धांत 4 जून, 2015 को हुई ओईसीडी मंत्रपिरिषद की बैठक में त्रियों द्वारा स्वीकृत
लोक प्रशासन और क्षेत्रीय विकास निदशालय

उद्यमशीलता, SMEs, क्षेरि और नगर केंद्र

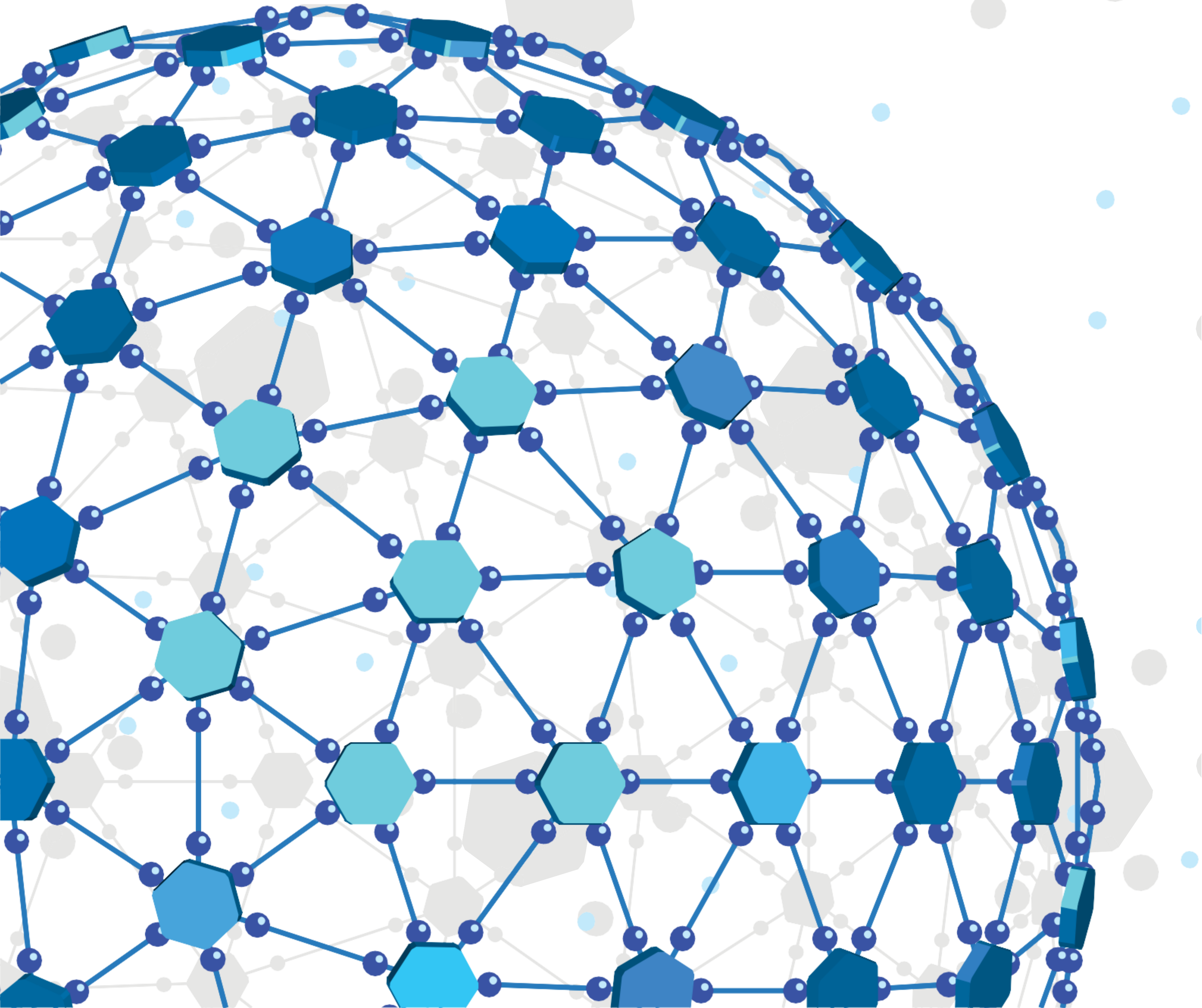

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के लिए ओईसीडी सिद्धांत क्यों?

पानी का निराशाजनक परिदृश्य, कम में बेहतर करने की जरूरत

जल और संबंधितक्षेत्रों पर पूरी दुनियामें बढ़ रहा दबाव कुछ ठोस कदम उठाने की मांगकर रहा है.

- हमारे आसपास मौजूद शुद्ध जल केस्रोत बहुत सीमित और अतयिधक अस्थाई हैं. साथ ही ओईसीडी का अनुमान है कि दुनिया की कुल आबादी का 40 फीसदी हिस्सा अभी भी ऐसी निदयों के किनारे रह रहा है, जहाँ पहले ही जल की कमी है. उन जगहों की 2050 तक पानी की मांग में 55 फीसदी की और बढ़ोत्तरी हो जायेगी. (ओईसीडी, 2012 ए).
- जलभृत्तों (एक्वीफर) केअतयिधक दोहन और प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितकी और शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था केलिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होगी और साथ हीअन्य खतरों केअलावा इन जलस्रोतों में कमी का खतरा बढ़ जाएगा.
- ऐसा अनुमान है कि 2050 तक दुनिया में 240 मिलियन लोगों की आबादी तक शुद्ध जल की पहुँच आसान नहीं होगी और 1.4 बिलियन लोगों को आधारभूत सेनिटेशन सुविधा भी हासिल नहीं होगी.
- ओईसीडी-क्षेत्र में जल संरचनाएं पुरानीपड़ रही हैं, तकनीकें अप्रचिलत और पुरानी हो गई हैं. पर्यावरण की चुनौतियों, बढ़ते शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और जल आपदाओं के चलते प्रशासिनक-ढाँचों केपास बढ़ती मांग को पूरा करने केलिए पर्याप्त साधन नहीं हैं.
- इन जल-संरचनाओं के नवीकरण और बेहतरी केलिए बड़ी मात्रा में निवेश की जरूरत है, साल 2050 तक केलिए यह अनुमानित लागत 6.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है. वहीं जल आधारित संरचनाओं से जुड़े व्यापक ढाँचे केविकास केलिए 2030 तक इस राशि का तीन गुना खर्च हो सकता है. (ओईसीडी, 2015सी)

जल, एक बहुआयामी क्षेत्र

जल का मुद्दा अपने आप में बहुआयामी है और यही इसे संवेदनशीलबनाता है और इसी वजह से इसे बहुस्तरीय प्रशासन की जरूरत है.

- जल विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों और लोगों केसाथ-साथ भौगोलिक और क्षेत्रीय तौर पर जुड़ाव बनाता है साथ ही साथ कई मामलों में हाइड्रोलॉजिकल सीमाएं और प्रशासिनक सीमाएं मेल नहीं खाती है।
- पेयजल प्रबंधन (सतही और भूजल) वैश्विक और स्थानीय दोनों ही स्तरों पर चिंता का एक व्यापक विषय है, इसिलए इसकेप्रबंधन में सार्वजिनक, निजी और गैर लाभकारी संगठनों की नीति, निर्णय और कार्यक्रम केस्तर पर भागीदारी होती है.
- जल अतयिधक पूंजी प्रधान और एकाधिकारी प्रवृत्ति का क्षेत्र है, साथ ही इसमें बाजार की असफलता भी देखी गई है इसिलए इसमें संयोजन की बड़ी आवश्यकता है.
- जल का मामला काफी जिटल है और यह उन क्षेत्रों से संबद्ध है जो विकास केलिए अत्यावश्यक हैं, जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेती, ऊर्जा, स्थानीय योजना, क्षेत्रीय विकास और गरीबी उन्मूलन.
- कई मुल्कों ने अपने प्रांत की सरकारों को अलग-अलग स्तर पर काफी जिटल और ऐसी जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिसमें बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता है, नतीजतन सरकारों में एक दूसरेपर अन्तरिनर्भरता बढ़ने केसाथ- साथ जिटलता बढ़ रही है, इस जिटलता को कम करने केलिए समन्वय की आवश्यकता है।

भविष्य में होने वाली पानी की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए केवल यही सवाल नहीं उठता है कि "क्या करना है?" बल्कि हमें यह भी जानना होगा कि, कौन क्या करेगा?, क्यों?, सरकार के किस स्तर पर?, और कैसे?. नीतिगत फैसले तभी मान्य हो सकते हैं जब वे सुसंगतहों, सभी भागीदारों को समुचित तरीके से शामिल करते हों, सुव्यवस्थित नियामक संरचना मौजूद हो, पर्याप्त और सुगम सूचनाएं हों और समुचित क्षमता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता हो.

भविष्य के साथ तालमेल बिठाने के लिए संस्थाओं को बदलते परिवेश के हिसाब से बदलाव लाना चाहिये. समावेशी और स्थायी समाधान के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और नीति की निरंतरता निहायत आवश्यक है.

जल संकट मुख्य रूप से 'शासन-प्रबंधन (गवर्नेंस)' का संकट है

साल 2010 से ही ओईसीडी ने कई बार जल प्रबंधन और शासन-प्रबंधन की कमियों को रेखांकित कर बताया कि इनकी वजह से ही जल नीति की संरचना और बेहतर क्रियान्वयन में रुकावटें पैदा हो रही हैं। साथ ही साथ यह इनसे उबरने के लिए अच्छे प्रयासों और बेहतर नीतियों का सुझाव भी देती रही है. "ओईसीडी मल्टी-लेवल गवर्नेंस फ्रेमवर्क - माइंड द गैप, ब्रिज द गैप" का विकास और निर्माण एक विश्लेषणात्मक संरचना और नीतिनिर्माताओं के लिए उपकरण के तौर पर किया गया ताकि वे प्रशासन की चुनौतियों की पहचान करते हुए उनका समाधान कर सकें. यह संस्थात्मक संरचना, पानी की उपलब्धता या खपत की दर के अंतर के बावजूद सभी मुल्कों के लिए थी.

"मल्टी-लेवल गवर्नेंस फ्रेमवर्क - माइंड द गैप, ब्रिज द गैप"

स्रोत : ओईसीडी (2011), *वाटर गवर्नेंस इन ओइसीडी, अ मल्टी-लेवल अप्रोच, ओईसीडी पब्लिशिंग, पेरिस*

इस विश्लेषणात्मक ढांचे का इस्तेमाल 17 ओईसीडी मुल्कों (2011) और 13 लैटिन अमेरिकी मुल्कों (2012) में जल प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए किया गया. साथ ही जल सुधार के समर्थन में राष्ट्रीय बहु-साझेदारी नीति संवाद के लिए मैक्सिको (2013), नीदरलैंड (2014), जोर्डन (2014) , ट्यूनीशिया (2014) और ब्राजील (2015) में किया गया. साझेदारों को शामिल करने, शहरी जल प्रबंधन और साथ ही जल नियामकों के प्रशासन के लिए एक विषय आधारित ज्ञान और नीति निर्देशिका भी बनाई गई (2015).

ओईसीडी के नतीजे जाहिर करते हैं कि दुनिया भर में व्याप्त जल संकट का कोई एक-सार्वभौमिक समाधान नहीं है, बल्कि एक ही मुल्क में अलग-अलग तरह की जल-समस्याएं हैं. इसलिए सरकारी हस्तक्षेप करते वक्त क्षेत्रीय विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिये और और इस बात की पहचान की जानी चाहिये कि प्रशासनिक व्यवस्था परिस्थितिजन्य हो और स्थानीय विविधताओं को जल नीति में जगह मिले.

लेकिन पिछले 25 सालों में पेयजल प्रबंधन के शासन-परिदृश्य में बदलाव आया है. सूचना के प्रवाह से इसकी कमियां, विफलताएं और बुरे प्रयासों की जानकारी मिलने लगी हैं. विकेंद्रीकरण की वजह से नीतियों को स्थानीय वास्तविकताओं से जोड़ने के मौके बढ़े हैं, लेकिन इससे सेवाओं को उपलब्ध कराने में क्षमता और समन्वय की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं.

इन दिनों इस बात को आम स्वीकृति मिली है कि प्रभावी जलनीति के लिए जमीनी और समेकित निर्णय प्रणाली को अपनाना जरूरी है. इसके साथ-साथ बड़ी संख्या में कानूनी संरचनाएं भी जल नीति को प्रभावी बनाने में मददगार साबित हुई हैं. हालांकि इनसे कभी-कभी सरकारों को दिक्कत भी हो जाती है. जैसे यूरोपियन यूनियन जल संरचना दिशानिर्देश ने ऐसे कई सुझाव दिये थे लिहाजा संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम विकास लक्ष्य और संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव में 28 जुलाई, 2010 को इसे "जल और स्वच्छता का मानवाधिकार" की संज्ञा दी गयी.

अंत में "समेकित जल संसाधन प्रबंधन" के सिद्धांतों के प्रयोग से देश और उससे बाहर बड़े सकारात्मक नतीजे सामने आये. साथ ही संचालन के लिए संरचना की जरूरत महसूस की गयी ताकि इससे छोटे, मझोले और लंबी अवधि वाले स्थायी तरीके विकसित किये जा सकें. इन कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में सरकार को हर स्तर पर मदद करना सबसे जरूरी है, ताकि मौजूदा और भविष्य की जल संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) को मजबूत किया जा सके.

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के लिए ओईसीडी सिद्धांत- किस लिए?

सरकारी नीतियों को असरदार बनाने की आवश्यकता है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला कर सकें

वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सरकारी नीतियों को असरदार बनाने की जरूरत है. इसके लिए तयशुदा समय अंतराल में भौतिक-सत्यापन लायक लक्ष्यों को समुचित मानकों के साथ पेश करना होगा. जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्ट कार्य सौंपे जाने चाहिये और इनकी नियमित निगरानी और मूल्यांकन की जानी चाहिये.

जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) ऐसी नीतियों की संरचना और अनुपालन में बड़ा योगदान दे सकता है. इसके लिए सरकार, सिविल सोसाइटी, व्यापारी और दूसरे भागीदारों की बड़ी संख्या को शामिल करना चाहिये. वे बेहतर 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के जरिये नीति नियंताओं के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण सम्बंधी लक्ष्य हासिल करने में मददगार साबित हो सकते हैं.

बेहतर नतीजे देने वाली सरकारी नीतियों वाले ओईसीडी सिद्धांतों पर आधारित 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) तीन सिद्धांतों पर आधारित हैं, ये तीनों परस्पर अंतरसंम्बद्ध और पूरक हैं-

- **प्रभावोत्पादकता** का संबंध प्रशासनिक देन से है, जिसका मकसद स्थायी जल नीति लक्ष्यों का निर्धारण है और यह सरकार के सभी स्तर के विभागों का लक्ष्य है कि वे इन नीतियों को लागू करायें और अपेक्षित लक्ष्यों को हासिल करें.
- **सक्षमता** का संबंध प्रशासन के उस योगदान से है जिससे समाज को कम कीमत पर स्थायी जल प्रबंधन और कल्याण हासिल हो सके.
- **विश्वास और भागीदारी** का संबंध प्रशासन के उस योगदान से है जो लोकतांत्रिक-वैधता के माध्यम से लोगों में विश्वास और भागीदारों के समावेश को सुनिश्चित करता है. जो आखिरकार समाज में पारदर्शिता की भावना को बढ़ाता है.

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के ओईसीडी सिद्धांतों का अवलोकन

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) पर ओईसीडी सिद्धांत से अपेक्षा की जाती है कि वे 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) चक्र में नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक के चरणों को बेहतर बनाने में योगदान दें.

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) चक्र

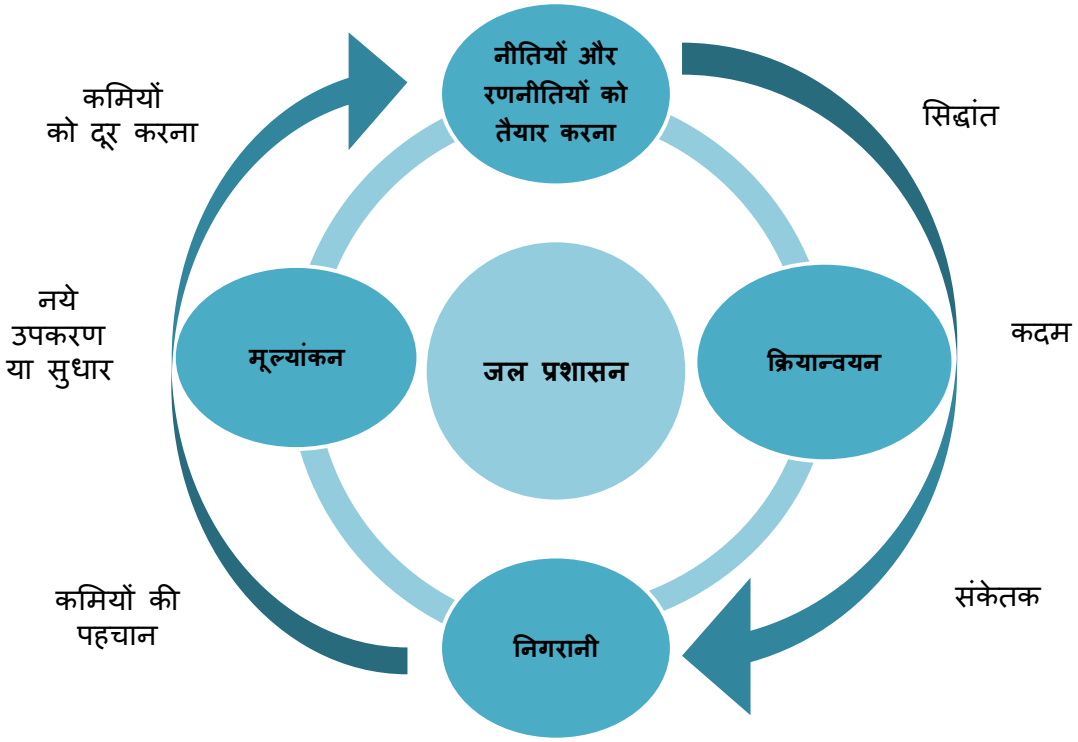

स्रोत- आगामी, ओईसीडी वर्किंग पेपर, 2015, वाटर गवर्नेंस इन्डीकेटर्स

शासन-प्रबंधन; जल नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वयन के लिए एक अनिवार्य शर्त

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के लिए ओईसीडी सिद्धांतों को इस वजह से तैयार किया गया है कि दुनिया भर में जल संकट की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोई एक सूत्री कार्यक्रम नहीं हो सकता. दुनिया भर के मुल्कों की संस्थागत संरचनाओं, प्रशासनों और कानूनों की विविधताओं के आधार पर कई तरह के विकल्प हो सकते हैं. वे समझते हैं कि प्रशासन काफी प्रासंगिक है. जल नीतियों में विभिन्न जल संसाधनों के मुताबिक बदलाव किये जाते रहने चाहिये. प्रशासनिक प्रतिक्रिया यह होनी चाहिये कि बदलते परिवेश के मुताबिक बदलाव को स्वीकार करें.

ये सिद्धांत बेहतर प्रशासन के इन बृहद सिद्धांतों में अंतर्निहित हैं, ये हैं, वैधता, पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवाधिकार, विधि का नियम और समावेश. चूंकि ये मानते हैं कि 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) साध्य तक पहुंचने का एक साधन है, न की अपने-आप में एक साध्य है, जैसे, राजनीतिक, संस्थागत और प्रशासनिक नियमों की विविधता, इनका प्रयोग और प्रक्रियाएं (औपचारिक और अनौपचारिक) जिसके जरिये फैसले लिए जा सकें और उन्हें लागू किया जा सकें. भागीदारों की रुचि जग सके और उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके. निर्णयकर्त्ताओं को जल प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके.

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) तंत्र को मजबूत बनाने का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त, बहुत कम और अधिक प्रदूषित जल का स्थायी, समेकित और खास तरीके से प्रबंधन करना है. उन्हें यह काम उचित लागत में और तयशुदा समयावधि में पूरा करना है. वे तभी प्रशासन को बेहतर मानेंगे जब उन्हें लगेगा कि वे जल संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में मददगार साबित हो रहे हैं. उन्हें ऐसा जमीनी और शीर्ष से नीचे जाने वाली प्रक्रियाओं के जरिये राज्य और समाज के रिश्तों को जोड़ते हुए करना होगा. यह बुरा हो जाता है अगर इसमें बेवजह का काफी पैसा खर्च होता है और वह स्थानीय जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है.

मुख्य ध्यान इस बात पर होना चाहिये कि 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) तंत्र (सामान्यतः औपचारिक, जटिल और महंगा) की संरचना चुनौतियों का समाधान निकालने के पैटर्न पर हो. समस्या के समाधान के ढंग का मतलब है 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के प्रकारों को 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के क्रियाकलापों का अनुसरण करना चाहिये. संस्थाओं का निर्माण, गठन और उसे औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया में हम यह न भूल जायें कि हमारा आखिरी लक्ष्य लोगों को अच्छी गुणवत्ता का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है. साथ ही साथ जल संसाधनों के पारिस्थितिकीतंत्र की सुरक्षा भी करना है.

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) का ओईसीडी सिद्धांत कैसे तैयार हुआ?

छठें 'वर्ल्ड वाटर फोरम' तक ओईसीडी ने "बेहतर सुशासन" के समूह का नेतृत्व किया था (मार्सिलि, मार्च 2012). वहां तीन सौ से अधिक भागीदारों का एक समुदाय गठित किया गया था ताकि नौ विषयकेंद्रित सत्रों का आयोजन किया जा सके. मार्सिलि में प्रशासन पर हो रही बहस इस बात पर खत्म हुई कि उन्हें अपनी नीतिगत दिशानिर्देशों को मजबूती प्रदान करना है. जल नीति को बेहतर प्रशासन देने के लिए सरकार के सभी स्तरों के लिए एक समान-ढांचा उपलब्ध कराना है.

इसी को आगे बढ़ाते हुए 27-28 मार्च, 2013 को ओईसीडी वाटर गवर्नेंस इनिशियेटिव (डब्लूजीआई) का गठन किया गया. यह एक बहु भागीदारी मंच था, इसमें सौ से अधिक सरकारी, निजी और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि थे, जिन्हें हर छह महीने में एकजुट होकर इस मुद्दे पर विमर्श करना था. तब से लेकर आजतक डब्लूजीआई ने जल संकट को लेकर उठाये जाने वाले प्रशासनिक कदम को लेकर समुचित प्रयास किये है.

छठा 'वर्ल्ड वाटर फोरम' प्रशासनिक लक्ष्य और संयोजक (मार्च 2012)

suez environnement OECD	**लक्ष्य 1** 2015 तक 50 फीसदी मुल्कों को संपर्क, सहभागिता और संयोजन की विधि को अपना लेना है और स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारों को निर्णय प्रक्रिया में स्पष्ट, संपूर्ण और समेकित रूप से भागीदार बनाना है. 2012 तक ऐसा दुनिया के शत-प्रतिशत मुल्कों के लिए करना है. लक्ष्य 1 की संकलित रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
astee	**लक्ष्य 2** 2015 तक 50 फीसदी मुल्कों में नियामक संरचनाओं को मजबूत बनाना है. प्रदर्शन के संकेतकों (सेवा प्रदातृ) की निगरानी और जल नीतियों के मूल्यांकन की प्रणाली को अंगीकार कर लेना है. सेवा उपलब्ध कराने के मसले पर बेहतर प्रशासन को लेकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर इन मुल्कों में क्षमता निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देनी है. 2018 तक ऐसा सभी मुल्कों में करना है. लक्ष्य 2 की संकलित रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
Office International de l'Eau · International Network of Basin Organizations	**लक्ष्य 3** 2021 तक नदी घाटी प्रबंधन योजनाओं की संख्या में 30 फीसदी की बढोत्तरी करनी है (शुरुआती स्तर और मुख्य मुद्दे का विश्लेषण करते हुए). लक्ष्य 3 की संकलित रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization · International Hydrological Programme	**लक्ष्य 4** 2015 तक, जल सुरक्षा विश्लेषण और प्रशासन उपकरणों से लैस मुल्कों की संख्या में बढ़ोत्तरी करनी हैं. यह मौजूदा (स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय) नियामकों, विधायी संरचनाओं और आईडब्लूआरएम प्रणालियों पर आधारित होना चाहिये. लक्ष्य 4 की संकलित रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
WIN Water integrity Network – Fighting corruption in water worldwide · TRANSPARENCY INTERNATIONAL – the global coalition against corruption	**लक्ष्य 5** 2018 तक, 30 मुल्कों को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, मौजूदा नक्शों का विश्लेषण या संभावित भ्रष्टाचार के खतरों के लिए तैयार करना है. यह सुनिश्चित करना है कि भ्रष्टाचार निरोधी नीतियों को ठीक से लागू किया जा रहा है और वे प्रभावी हैं. लक्ष्य 5 की संकलित रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
SIWI	**लक्ष्य 6** 2018 तक, 30 मुल्कों में पारदर्शी जल बजट प्रक्रिया को लागू कराना है. इसमें जल संरचना विनिवेश योजना और क्रियान्वयन (वित्तीय, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक प्रभाव) से संबंधित सूचनाओं और साथ ही जल क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बेहतर बनाने के नियम और उपकरणों को भी को शामिल करना है. लक्ष्य 6 की संकलित रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें

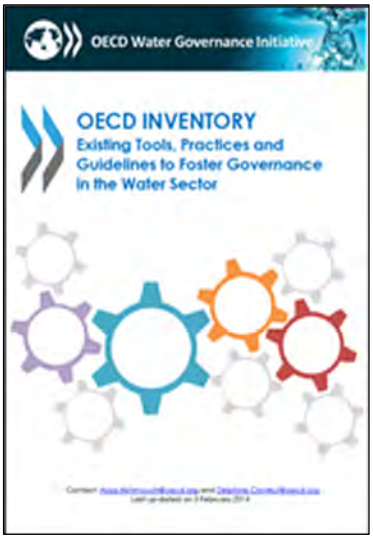

जल प्रबंधन के सिद्धांतों को विकसित करने के लिए प्रारंभिक चरण में पहला काम पहले से मौजूद जल-शासन-प्रबंधन से संबंधित उपकरणों, दिशानिर्देशों और सिद्धांतों को संकलित करना था.

इस दस्तावेज में 108 प्रशासनिक-टूल्स या तरीके शामिल हैं, इनमें से जल क्षेत्र से संबंधित 55 टूल्स हैं. इनमें स्वैच्छिक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तरीकों तक की बातें हैं. इसमें बड़े पैमाने पर कार्यक्रम, दिशानिर्देश, हैंडबुक और व्यावहारिक तरीके शामिल हैं. इसे भागीदारों के शामिल होनें, उनकी कार्यक्षमता और जल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़े प्रशासन, घाटी प्रशासन, समेकितता और पारदर्शिता जैसे मसले हैं.

इस संकलन प्रक्रिया से ओईसीडी सिद्धांतों की विकास की महत्ता सामने आई. जिसने जल प्रबंधन की खामियों को पहचानने और दूर करने के लिए एक सुसंगत संरचना को विकसित किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छे कामों को बढ़ाने में योगदान दिया.

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के सिद्धांतों को डब्लूजीआई में जमीनी और बहु-भागीदारी प्रक्रियाओं के जरिये विकसित किया गया है. यह ओईसीडी क्षेत्रीय विकास नीति समिति के निर्देशन में और उसकी छतरी के तले ओईसीडी नियामक नीति समिति और आर्थिक नियामक के इसके नेटवर्क के नजदीकी संयोजन के जरिये पूरा किया गया है. साथ ही ओईसीडी समितियों और सहयोगी संस्थाओं जिनमें पर्यावरण नीति समिति और इसकी कार्यकारी इकाई जो जैव विविधता, जल और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करती हैं, लोक प्रशासन समिति और वरिष्ठ लोक समेकित अधिकारियों की इसकी कार्यकारी इकाई, विकास सहयोगी समिति, विनिवेश समिति और कृषि के लिए समिति के साथ गंभीर विमर्श किया गया है.

इन सिद्धांतों पर 29-30 अप्रैल, 2015 को आयोजित क्षेत्रीय विकास नीति समिति की 33वीं बैठक में चर्चा हुई और 11 मई, 2015 को लिखित प्रक्रियाओं के जरिये समिति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गयी. 13 मई, 2015 को ओईसीडी परिषद द्वारा इन सिद्धांतों का स्वागत किया गया और इन्हें मंत्रियों को प्रेषित करने पर सहमति जतायी गयी. 4 जून, 2015 को मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक में इन सिद्धांतों का समर्थन किया गया.

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के ओईसीडी सिद्धांत

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के ओईसीडी सिद्धांत एक संरचना उपलब्ध कराते हैं जिनके जरिये यह समझा जा सकता है कि क्या 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) तंत्र बेहतर तरीके से काम कर रहा है और जहां जरूरत हो वहाँ मदद कर रहा है. वे बेहतर उदाहरणों और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से मिली सीखों को सामने लाने में उत्प्रेरक का काम करते हैं. सरकार के हर स्तर पर चल रही सुधार प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं और जहां और जब बदलाव की जरूरत होती है, सहयोग करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से मिली सीखों के जरिये ये भविष्य की बाधाओं और गड़बड़ियों से बचने में मददगार साबित होते हैं.

ये सिद्धांत निम्न विचारों पर आधारित हैं-

- वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सरकारी नीतियों को सक्षम बनाना, ऐसे लक्ष्य सुनिश्चित करना जिनका भौतिक सत्यापन संभव हो और उसके लिए समय सीमा निर्धारित करना, जिम्मेदार अधिकारियों के लिए साफ-साफ कार्य विभाजन करना और उनकी नियमित निगरानी तथा मूल्यांकनकरना.
- प्रभावी, सक्षम और समेकित 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) इन नीतियों के निर्माण और इन्हें लागू करने में मददगार साबित हो सकता है. सरकारी और अन्य भागीदारों की साझा जिम्मेदारी से वर्तमान और भविष्य के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है.
- न सिर्फ अलग-अलग देशों में बल्कि एक देश में भी जल संकट की चुनौतियाँ इतने विविध किस्मों की होती हैं कि इनके लिए कोई एक सार्वभौमिक नीति से काम नहीं चलाया जा सकता है. अलग-अलग जगह कानूनी और संस्थागत संरचनाओं, सांस्कृतिक व्यवहारों, वातावरण, भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों का भी काफी फर्क होता है.
- इसलिए इस मसले में रुचि रखने वाले सदस्यों और गैर-सदस्यों के लिए ठीक यही रहेगा कि वे अपने मुल्क की परिस्थितियों के हिसाब से राष्ट्रीय नीतियां तैयार करें और उन्हें लागू करायें.
- जल नीति के संपूर्ण ढांचे में 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) एक महत्वपूर्ण मसला है. बेहतर प्रशासन के वृहद सिद्धांत जल क्षेत्र में भी लागू होते हैं. 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के नतीजों को जल नीति ढांचे के दूसरे हिस्सों में भी लागू कराया जा सकता है.
- ये सिद्धांत सरकार के हर स्तर के लिए उपयुक्त हैं और रुचि रखने वाले सदस्यों और गैर-सदस्यों के बीच इनका प्रसार किया जा सकता है.
- ओईसीडी रुचि रखने वाले सदस्यों और गैर-सदस्यों की मदद इन मानकों तक पहुंचने में कर सकता है और बेहतर उदाहरणों की पहचान कर सकता है. इसकी भविष्य की कार्ययोजनाओं में 'क्षेत्रीय विकास नीति समिति' को सिद्धांतों के फोलो-अप के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करना है.
- इन सिद्धांतों को ओईसीडी के भविष्य के जल संबंधी ओईसीडी विचारार्थ रखा जा सकता है.

ये सिद्धांत जल नीति के विभिन्न पहलुओं के लिए लागू किये जा रहे हैं. इन्हें व्यवस्थित और समेकित तरीके ले लागू किया जाना चाहिये.

कुछ इस तरह कि इनमें कोई विभेद न रखा जाये.

- जल प्रबंधन *क्रियाकलाप* (जैसे, पेयजलापूर्ति, स्वच्छता, बाढ़ सुरक्षा, जल गुणवत्ता, जल की मात्रा, वर्षाजल और तूफानी वर्षा);
- जल *उपयोग* (जैसे, घरेलू, औद्योगिक, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण), और
- जल प्रबंधन का *स्वामित्व*, संसाधन और परिसंपत्तियां (जैसे, सरकारी, निजी, मिश्रित).

© cidepix/Shutterstock.com

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना

सिद्धांत 1. जल निर्माण, नीतियों को लागू करने, कार्यकारी प्रबंधन और नियमन के लिए भूमिकाएं और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से अलग-अलग वितरित करना और इनके निभाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के बीच समन्वय बनाए रखना.

इसके लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे कुछ ऐसे हो सकते हैं-

a) सरकार के सभी स्तरों के लिए और जल संबंधी संस्थाओं के लिए भूमिका और जिम्मेदारियों के बंटवारे को स्पष्ट करें.

   – नीति-निर्माण, खास कर प्राथमिकता निर्धारण और रणनीतिक नियोजन;

   – नीतियों को लागू करना खास कर वित्तीय और बजटीय संदर्भ में, आंकड़े और सूचनाएं, भागीदारों को शामिल करना, क्षमता वृद्धि और मूल्यांकन;

   – परिचालन प्रबंधन, खास कर सेवा उपलब्धता, संरचनात्मक परिचालन और निवेश; और

   – नियामक एवं अमल, खास तौर पर टैरिफ निर्धारण में, लाइसेंस देना, निगरानी और देख-रेख, नियंत्रण और अंकेक्षण और टकराव प्रबंधन;

b) कमियों की पहचान और उनके समाधान में मदद, सरकार के सभी स्तरों पर दुहरावऔर रुचियों के टकराव के समाधान के लिए प्रभावी समन्वय.

सिद्धांत 2. समेकित घाटी प्रशासन तंत्र के जरिये जल का समुचित स्तरों पर प्रबंधन ताकि स्थानीय परिस्थितियों को उजागर किया जा सके. साथ ही विभिन्न स्तरों पर समन्वय भी स्थापित किया जा सके.

इसके लिए जल प्रबंधन की प्रथाएं और उनके उपकरण ऐसे होने चाहिये-

a) लंबी अवधि के पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों का निर्धारण इस लिहाज से कि जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके. जोखिम बचाव और समेकित जल संसाधन प्रबंधन का भी ख्याल रखा जाये;

b) एक बेहतरीन जलविज्ञानी चक्रीय प्रबंधन को बढ़ावा देना, स्वच्छ जल की प्राप्ति और वितरण से लेकर दूषित जल के संधान तक;

c) अपनाये जाने लायक और समाधान में सक्षम रणनीतियों और स्पष्ट और अनुकूल फैसलों पर आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना. यह प्रभावी घाटी प्रबंधन योजना के जरिये करना है जो राष्ट्रीय नीति और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर बनी हों;

d) उपयोगकर्ताओं, भागीदारों और जल प्रबंधन के काम में जुटे विभिन्न स्तर के सरकारी अधिकारियों, कर्मियों के बीच बहु-स्तरीय समन्वय को बढ़ावा देना ; और,

e) सीमापार पेयजल संसाधनों के इस्तेमाल के लिए नदी-तटीय इलाकों के समन्वय को बढ़ावा देना.

सिद्धांत 3. प्रभावी प्रतिकूल क्षेत्रीय समन्वय के द्वारा नीति अनुकूलता को बढ़ावा देना, खास कर जल और पर्यावरण, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, स्थानिक योजना और भूमि उपयोग के लिये; कुछ ऐसे-

a) मंत्रालयों, सरकारी एजेंसियों और सरकार के विभिन्न स्तरों, प्रतिकूल-क्षेत्रीय योजनाओं के दरम्यान अनुकूल नीतियों के लिए समन्वय प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना;

b) जल संसाधनों के उपयोग, सफाई और सुरक्षा के लिए समन्वय प्रबंधन को प्रोत्साहित करना. ऐसा उन नीतियों को ध्यान में रखते हुए जो जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और मांगों को प्रभावित करते हैं (जैसे- खेती, वानिकी, खनन, ऊर्जा, मत्स्य पालन, परिवहन, मनोरंजन, और नौकायन). साथ ही जोखिम बचाव भी करना है;

c) जल क्षेत्र में और उसके बाहर के व्यवहारों, नीतियों और नियामकों की मदद से नीति अनुकूलनकी बाधाओं की पहचान करना, उनका आकलन करना और समाधान करना. ऐसा निगरानी, प्रतिवेदन और समीक्षा के जरिये करना है, और

d) विभिन्न स्तरों की रणनीतियों के बीच की बाधाओं को खत्म करने के लिए प्रोत्साहन और शासन-प्रबंधन उपलब्ध कराना. इन रणनीतियों को जल प्रबंधन की आवश्यकताओं और उनके समाधान की तलाश के नजरिये से तैयार करना है, साथ ही वे स्थानीय प्रशासन और नियमों में भी फिट बैठ सकें.

सिद्धांत 4. संभावित जल-संकट की चुनौतियों की जटिलताओं से निपटने के लिए संबंधितजिम्मेदार अधिकारियों की क्षमताओं के स्तर में संवर्धन, और सेवाओं को पूरा करने के लायक बन सकें, कुछ ऐसे-

a) क्षमता की कमियों की पहचान और उनका समाधान करते हुए समेकित जल संसाधन प्रबंधन को लागू कराना, खास कर योजना, नियम बनाना, परियोजना प्रबंधन, वित्त, बजट निर्माण, आंकड़ा जमा करना और निगरानी, जोखिम प्रबंधन और मूल्यांकनके लिए;

b) 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) तंत्र की समस्या और जरूरतों को देखते हुए उसके अनुरूप तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत क्षमता विकसित करना;

c) जहां उचित लगे क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अनुकूल और सुलझे हुए कार्यभार को प्रोत्साहित करना;

d) उन सरकारी अधिकारियों और पानी का काम करने वाले पेशेवर को जिम्मेदारी सौंपने को प्रोत्साहित करना जो योग्यता के आधार पर, पारदर्शी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं और राजनीतिक-तंत्र से अलग हैं; और

e) जल संस्थाओं और बड़े पैमाने पर शामिल भागीदारों की क्षमता वृद्धि के लिए जल पेशेवरों के प्रशिक्षण और शिक्षण को बढ़ावा देना और साथ ही सहयोग और जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना.

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) की क्षमतावृद्धि

सिद्धांत 5. उत्पादन, अद्यतन करना और समय से सुसंगत, तुलनात्मक और नीति-अनुकूल जल और जल संबंधी आंकड़ों और सूचनाओं को साझा करना. और इनका इस्तेमाल जल नीति को निर्देशित करने और उसे बेहतर बनाने में करना, इस तरह-

a) मूल्य-अनुकूल और स्थायी उत्पादन और उच्च गुणवत्ता वाले जल और जल संबंधी आंकड़ों व सूचनाओं की आवश्यकता को परिभाषित करना. जैसे, जल संसाधन, जल वित्त, पर्यावरण संबंधी जरूरतें, सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं और संस्थागत खाका बनाना

b) प्रभावी समन्वय को सक्षम करना और संस्थाओं और जल संबंधी आंकड़ों को तैयार करने वाली एजेंसियों, उपयोगकर्ताओं के बीच सरकारी स्तर पर अनुभवों की साझेदारी करना;

c) जल सूचना तंत्र के निर्माण और उसे लागू करने के लिए साझीदारों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना. और, इस बात से संबंधी निर्देश भी उपलब्ध कराना कि पारदर्शिता, विश्वास और तुलनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कैसे इन सूचनाओं को साझा किया जा सकता है (जैसे, डाटा बैंक, रिपोर्ट, नक्शे, चित्र, वेधशालाएं);

d) घाटी के स्तर पर स्थायी और व्यवस्थित सूचना तंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहित करना. ऐसा सीमापार के जल स्रोतों के मामले में भी करना. ऐसा करने से नदियों के जल की भागीदारी करने वाले मुल्कों के बीच आपसी विश्वास और समझौते के प्रति सकारात्मक भावना का विकास होता है; और

e) आंकड़ों के संग्रह, इस्तेमाल, साझेदारी और पहचाने गये दोहरीकरण की समाप्ति की समीक्षा करना और अवांछित आंकड़ों के बोझ से बचना.

सिद्धांत 6. यह सुनिश्चित करना कि प्रशासनिक व्यवस्था जल वित्त और दूसरे वित्तीय संसाधनों को हासिल करने में मददगार साबित हो. वह भी प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से, कुछ ऐसे-

a) प्रशासनिक तर्कों को प्रोत्साहित करना ताकि विभिन्न स्तर की सरकारी जल संबंधी संस्थाओं को अपने कामकाज के लिए आवश्यक राजस्व हासिल हो सके. उदाहरण के लिए 'पॉल्यूटर पेज' और 'यूजर पेज' सिद्धान्त. साथ ही साथ पर्यावरण सेवाओं के बदले भुगतान भी;

b) क्षेत्रवार समीक्षा और रणनीति वित्तीय योजनाओं के जरिये लघु, मध्यम और लंबी अवधि के निवेश को हासिल करना. साथ ही ऐसे वित्तीय उपलब्धता और स्थायित्व के लिए कदम उठाते रहना;

c) बजट एवं लेखा के लिए सक्षम और पारदर्शी तरीकों को अपनाना, जिससे जल संबंधी गतिविधियों की स्पष्ट तसवीर सामने आये. साथ ही इनसे जुड़ी अन्य गतिविधियों, जैसे संरचनात्मक निवेश और इनसे जुड़ी हुई बहुवर्षीय रणनीतिक योजना और सरकार की मध्यावधि प्राथमिकताएं आदि;

d) ऐसे उपायों को अपनाना जिनसे जल संबंधी सरकारी फंड का प्रभावी और पारदर्शी आवंटन हो सके (जैसे सामाजिक समझौतों, स्कोरकार्ड्स और ऑडिट की मदद से); और

e) वित्तीय सुरक्षा मानकों को अपनाते समय सार्वजनिक खर्चों से संबंधित अवांछित प्रशासनिक बोझ को कम करना.

सिद्धांत 7. यह सुनिश्चित करना कि सक्षम जल प्रबंधन नियामक ढांचा प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके और जनहित में लागू हो, इस तरह-

a) एक विस्तृत, सुसंगत और पूर्वानुमान लगाने योग्य कानूनी और संस्थागत ढांचा सुनिश्चित करना जो नियमों, मानकों और दिशा-निर्देशों को लागू करे. जिससे जल नीति के नतीजों को हासिल किया जा सके और लंबी अवधि की समेकित योजना को प्रोत्साहित किया जा सके;

b) यह सुनिश्चित करना कि सरकारी एजेंसियों, समर्पित संस्थाओं और सरकारी और नियामक अधिकारी जो आवश्यक संसाधनों से संपन्न हैं, पर मुख्य नियामक कार्यकलाप डाले जा सकें;

c) यह सुनिश्चित करना कि नियम, संस्थाएं और प्रक्रियाएं सु-समन्वित, पारदर्शी, भेदभाव से परे, भागीदार और आसानी से समझ में आने लायक हों और उन्हें लागू कराया जा सके;

d) नियामक उपकरणों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना (उन्नयन औऱ संपर्क प्रक्रिया) ताकि नियामक प्रक्रियाओं की गुणवत्तासक्षम हो सके और जहां उचित नतीजे लोगों तक पहुंचाये जा सकें;

e) स्पष्ट, पारदर्शी और समानुपातिक नियमों, प्रक्रियाओं, प्रेरणाओं और उपकरणों को स्थापित करना (इनमें इनाम और दंड भी शामिल हैं). ताकि किफायती तरीके से समर्पण को बढ़ावा दिया जा सके और नियामक लक्ष्यों को हासिल किया जा सके; और

f) सुनिश्चित करना कि गैर-भेदभाव वाली स्थितियों में न्याय हासिल किया जा सके, यह मानते हुए कि विकल्पों की विविधता पर्याप्त हो.

सिद्धांत 8. सक्षम अधिकारियों, सरकार के विभिन्न स्तरों और संबंधितभागीदारों द्वारा अन्वेषी 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) प्रक्रियाओं को स्वीकार करने और लागू करने को प्रोत्साहित करना, इस तरह-

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) पर पायलट जांच और परीक्षण को प्रोत्साहित करना, सफलता और असफलताओं से सीख लेना, और अनुकरण के योग्य प्रक्रियाओं का निर्धारण करना;

a) संवाद और सहमति निर्माण की सामाजिक सीख को बढ़ावा करना, उदाहरण के लिए साझा प्लेटफार्म, सोशल मीडिया, सूचना व संवादतकनीक और यूजरफ्रेंडली इंटरफेस (जैसे, डिजिटल नक्शा, बड़े आंकड़े, स्मार्ट आंकड़े और खुले आंकड़े) समेत अन्य साधन;

b) सहयोग, संसाधनों और क्षमताओं का संग्रह, विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय, जैसे महानगरपालिका प्रशासन, अंतरनगरपालिका समन्वय, शहरी-ग्रामीण साझेदारी, और समझौते के बीच सहयोग के लिए अन्वेषी तरीकों को बढ़ावा देना; और

c) बेहतर 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) में योगदान देने के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक नीति को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक खोजों व 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के व्यवहारों के बीच अंतर को पाटना.

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) में विश्वास और वचनबद्धता बढ़ाना

सिद्धांत 9. जल नीतियों, जल संस्थानों और 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) ढांचाओं के इर्द-गिर्द मुख्यधारा की अखंडता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना ताकि निर्णय प्रक्रिया जिम्मेदार हो सके, इस तरह-

a) कानूनी और संस्थागत ढांचे को बढ़ावा देना जो निर्णयकर्ता और भागीदारों को जिम्मेदार बना सके. जैसे सूचना का अधिकार और जल संबंधीमसलों की जांच करने वाले स्वतंत्र अधिकारी और कानून लागू करने वाले;

b) मानकों, कोड ऑफ कंडक्ट या अखंडता के सिद्धांतोंऔर राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और क्रियान्वयन की निगरानी को लागू कराना;

c) स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करना और पारदर्शी जलनीति तैयार करने व लागू करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना;

d) नियमित तौर पर जांच और मैपिंग या भ्रष्टाचार के संभावित कारकों और जल आधारित सभी संस्थाओं में संभावित खतरे की पड़ताल; और

e) बहु-भागीदारी तरीके को अपनाना, जल अखंडता और पारदर्शिता की कमियों की पहचान के लिए आवश्यक उपकरण और तरीकों को अपनाना (जैसे, सत्यनिष्ठा जांच, खतरों का आकलन, सामाजिक गवाही)

सिद्धांत 10. जल नीति को तैयार करने और लागू कराने में सभी भागीदारों की सहभागिता को बढ़ावा देना, इस तरह-

a) उन सभी सरकारी, निजी और स्वयंसेवी संगठनों की पहचान जो इसके नतीजे के भागीदार हो सकते हैं या जो जल संबंधीफैसलों को प्रभावित कर सकते हैं. साथ ही उनकी जिम्मेदारी, केंद्रीय प्रेरणा और संपर्क की भी पहचान करना;

b) जिन लोगों का प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं हो पा रहा हो उन पर खास तवज्जो देना (युवा, गरीब, महिलाएं, आदिवासी, घरेलू उपभोक्ता आदि) नवागंतुकों(प्रॉपर्टी डेवलपर्स, संस्थागत निवेशक) और अन्य जल संबंधीभागीदार और संस्थाएं;

c) फैसला लेने वालों और भागीदारों के बीच की रेखा स्पष्ट करना, शक्ति के असंतुलनको दूर करना और अधिक प्रतिनिधित्व पाने वालों के खतरों को दूर करना, विशेषज्ञों और गैर विशेषज्ञों के बीच के अंतर को भी खत्म करना;

d) संबद्ध भागीदारों की क्षमतावृद्धि करना उन्हें साथ ही साथ समय पर और सही सूचनाएं उपलब्ध कराना, जहां तक उचित हो;

e) भागीदारों को सहभागी बनाने की प्रक्रिया का आकलन करना, उसी के अनुरूपप्रक्रिया में सुधार लाना, भागीदारी प्रक्रिया की लागत और लाभ का भी आकलन करते रहना;

f) ऐसे कानूनीऔर संस्थागत ढांचे, संस्थानिक संरचनाएं और जिम्मेदार अधिकारियों को प्रोत्साहित करना जो भागीदारों की सहभागिता बढ़ाने में जुटे हों, स्थानीय परिस्थितियों, जरूरतों और क्षमताओं का आकलन करना; और

g) भागीदारों की सहभागिता के स्तर और प्रकार को उनकी जरूरतों और बदलते परिवेश के मुताबिकतैयार करना.

सिद्धांत11. 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के उस ढांचे को प्रोत्साहित करना जो जल उपयोगकर्ताओं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र और पीढ़ियों के बीच संपर्क को बढ़ावा देती हैं, इस तरह-

a) निर्णय प्रक्रिया में गैर-भेदभाव वाली भागीदारी को बढ़ावा देना. खास तौर पर वंचितसमूहऔर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को शामिल करना;

b) स्थानीय अधिकारियों और उपभोक्ताओं की क्षमतावृद्धि करना जिससे वे गुणवत्तापूर्णजल सेवा उपलब्ध कराने के संबंधमें अगर कोई बाधा हो तो उसे पहचान कर उसका समाधान कर सकें और ग्रामीण-शहरी सहयोग व जल संस्थानोंऔर उसके भागीदारों के बीच रिश्ते को मजबूत कर सकें;

c) बहुत कम, बहुत अधिक और बहुत प्रदूषितजल के खतरे और इनकी लागत की परेशानियों पर जन संवाद को बढ़ावा दें. ताकि वे भविष्य में बेहतर और स्थायी सुविधाओं को हासिल कर सकें; और

d) नागरिक, जल-उपभोक्ता और फैसले लेने वालों के बीच जल नीतियों से संबंधितवितरण के मामलों के प्रमाण आधारित आकलन को प्रोत्साहित करना.

सिद्धांत12. जल नीति की नियमित निगरानी और मूल्यांकनऔर प्रशासन को प्रोत्साहित करना, जहां उचित लगे इनके नतीजों को आम लोगों के बीच साझा करना और आवश्यकतानुसार इसमें बदलाव करना, इस तरह-

a) निगरानी और मूल्यांकनके लिए समर्पित संस्थाओं को बढ़ावा देना जो पर्याप्त रूप से सक्षम हों, जिन्हें काम करने की स्वतंत्रता हो और उपकरणों के मामले में साधन संपन्न हों;

b) भरोसेमंदनिगरानी और उसकी रिपोर्टिंग के लिए तंत्रविकसित करना, जो फैसला लेने वालों को प्रभावी तरीके से निर्देशित कर सके;

c) यह आकलन करना कि जल नीति कहां तक लोगों की जरूरतों को पूराकर पा रही है और क्या 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) का ढांचाइस मकसद के लिए फिट है; और

d) मूल्यांकनके नतीजों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से साझा करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना और ऐसी रणनीति अपनाना जिससे नयी सूचनाएं उपलब्ध हो सकें.

सिद्धांतों पर दैगू बहु-भागीदारी घोषणापत्र

ओईसीडी सिद्धांतों पर दैगू बहु-भागीदारी घोषणापत्र इन सिद्धांतों के बहु-भागीदारी नजरिये का स्पष्ट नतीजा है. 13 अप्रैल, 2015 को आयोजित सातवें विश्व जल फोरम के मौके पर ओईसीडी के महासचिव एंजेल गुर्रिया को ये घोषणापत्र सौंपे गये थे.

'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) के ओईसीडी सिद्धांतों के लिए दैगू बहु-भागीदारी घोषणापत्र

हमलोग, सरकारी, निजी और स्वयंसेवी क्षेत्र, बड़े समूह और एकल व्यक्ति जो लोग ओईसीडी 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) से सक्रिय रूप से जुड़े हैं, जो **120** से अधिक अन्वेषी बहु-साझेदारी प्रतिनिधियों के समूह हैं और साल में दो बार नीति फोरम के रूप में इकट्ठा होते हैं, पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि जल संकट एक प्रशासनिक संकट है और:

1. **'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) पर ओईसीडी सिद्धांतों का पूरा समर्थन** इस रूप में करते हैं कि यह एक बेहतर ढांचा है जो राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारों को बेहतर जल नीतियों को बड़ी संख्या में इसके बाहरी और भीतरी भागीदारों के साथ तैयार करने में मदद करता है;
2. **सिद्धांतों के निर्माण से संबंधित जमीनी,** बहु-भागीदारी और समेकित प्रक्रियाओं की तारीफ करते हैं. ऐसा 27 मार्च 2013 से 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) प्रयासों के गठन के समय से हो रहा है जो छठे विश्व जल फोरम(मार्सिलि, 2012) का फोलोअप था;
3. **ओईसीडी मुल्कों की सरकारों से आग्रह करते हैं कि वे इन सिद्धांतों को स्वीकृति प्रदान करें** 29 अप्रैल, 2015 की क्षेत्रीय विकास नीति समिति की 33वीं बैठक में और इन्हें 3-4 जून, 2015 को आयोजित ओईसीडी मंत्री परिषद की बैठक में एक मजबूत और उच्च स्तरीय राजनीतिक बल प्रदान करें;
4. **ओईसीडी सुझावों को सम्मिलित कर उसे सिद्धांतों में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ें** ताकि इन्हें कानूनी वैधता और मजबूत नैतिक बल हासिल हो सके. इस बात पर भी सहमति बने कि बेहतर उदाहरणों को इकट्ठा किया जाये ताकि उसकी मदद से प्रशासन और नीतियों में बदलाव लाये जा सकें;
5. **सिद्धांतों को स्वीकृति देने के लिए विकासशील और उभरते मुल्कों को आमंत्रित करें** और उन्हें समुचित सुझाव देने के लिए भी प्रोत्साहित करें;
6. **शपथ लेते हैं कि सभी भागीदार इन सिद्धांतों का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों और क्रियाकलापों को निर्देशित देने के लिए करेंगे** ताकि इसकी प्रभावोत्पादकता, सक्षमता, विश्वास और 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) से साथ भागीदारी को मजबूत किया जा सके;
7. **सिद्धांतों के व्यापक प्रसार के लिए वचनबद्ध हैं** अपनी संस्था, नेटवर्क, साझेदारों और आम जनता के बीच;
8. **ओईसीडी को 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) सूचकांकों को विकसित करने के लिए आमंत्रित करेंगे,** उनके उसी जमीनी और समावेशी प्रक्रिया के तहत, सिद्धांतों को लागू करने के दौरान निगरानी के साथ खास तौर पर दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल करने के लिए;
9. **उम्मीद करते हैं कि 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे** अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को इकट्ठा कर उन्हें सिद्धांतों के आधार पर अपनाते हुए;
10. **ओईसीडी को उसके नेतृत्व और प्रतिबद्धता के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और जल क्षेत्र में बेहतर प्रशासन के लिए सामूहिक रूप से मदद करने के लिए तैयार हैं.**

घोषणापत्र को इस लिंक पर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं: http://www.oecd.org/gov/regional-policy/world-water-forum-7.htm

इस सत्र के दौरान पीटर ग्लास (चेयरमैन, आईसीडी वाटर गवर्नेंस इनिशियेटिव) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया. इस पैनल में जियोंग योन-मान (कोरिया के पर्यावरण उप-मंत्री), जीन-लुईस कॉसेड (सीईओ, स्वेज पर्यावरण), फ्रांसिस्को न्यूनेस-कोर्रिआ (अध्यक्ष, पुर्तगीज वाटर पार्टनरशिप), सेलिया ब्लावेल (अध्यक्ष, एक्वा पब्लिक यूरोप) और जोप्पे क्रेमविंकेल (जल निदेशक, वर्ल्ड बिजिनेश कॉउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट) शामिल थे. पैनलिस्टों ने इन ओईसीडी सिद्धांतों का स्वागत करते हुए इसे मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा कि यह एक मूल्यवान ढांचा है, जो फैसला लेने वालों और पेशेवरों के लिए दिशा-सूचक का काम करेगा और 'जल शासन-प्रबंधन' (वाटर गवर्नेंस) को प्रभावी, सक्षम और समेकित बनायेगा.

इस घोषणापत्र पर सरकारी, निजी और स्वयंसेवी क्षेत्र, बड़े भागीदारी समूह और व्यक्तियों, ओईसीडी के सक्रिय अधिकारियों आदि के 65 हस्ताक्षर हुए. इन लोगों ने अपनी गतिविधि और प्रयासों से ओईसीडी के सिद्धांतों को लागू करने में मदद देने के प्रति वचनबद्धता जाहिर की.

हस्ताक्षर करने वालों की सूची

Jean-François Donzier
Permanent Technical Secretary, INBO
General Director, IOWater

Håkan Tropp
Managing Director of the Knowledge Services, Stockholm International Water Institute

Pierre-Alain Roche
President, ASTEE

Teun Bastemeijer
Chief Advisor Strategy and Programmes, Water Integrity Network

Cobus de Swardt
Managing Director, Transparency International

Alice Aureli
Chief of Groundwater Section, UNESCO-IHP

Nicolle Raven
Secretary General, European Irrigation Association

Dogan Altinbilek
President, International Water Resources Association

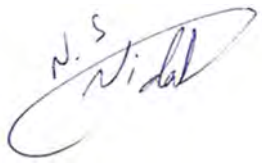

Nidal Salim
Director General, Global Institute for Water Environment and Health

Hachmi Kennou
Executive Director, Institut Méditerranéen de l'Eau

Cecilia Tortajada
Vice President, Third World Centre for Water Management

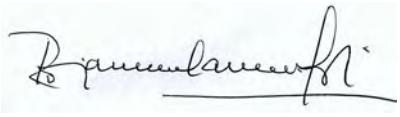

Rui Godinho
President, Portuguese Association of Water and Wastewater Services

Lesha Witmer
Coordinator, Steering Committee member, Butterfly Effect

Keizrul Bin Abdullah
Chairperson, Network of Asian River Basin Organisation

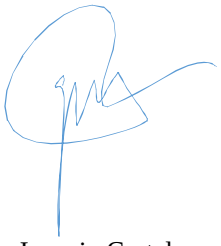

Ignacio Castelao
Deputy Director, AcuaMed

Robert Varady
Deputy Director, Udall Center for Studies in Public Policy

Sharon Megdal
Director, Water Resources Research Center

Gilles Trystram
Directeur Général, AgroParisTech

Stefan Uhlenbrook
Vice Rector, UNESCO-IHE

Ger Bergkamp
Executive Director, International Water Association

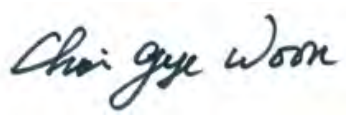

Gyewoon Choi
Chief Executive Officer, K-water

Henri Bégorre
President, Partenariat Français pour l'Eau

Michael Scoullos
Chairman, Global Water Partnership Mediterranean

Global Water Partnership Mediterranean

Célia Blauel
President, Aqua Publica Europea

Aqua publica europea
EUROPEAN ASSOCIATION OF PUBLIC WATER OPERATORS

Rozemarijn Ter Horst
Coordinator, Water Youth Network

WATER YOUTH NETWORK

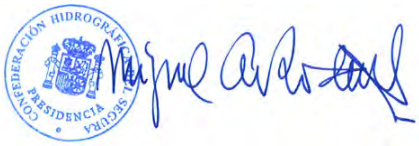

Miguel A. Rodenas
President, Segura River Basin Authority - Spain

GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

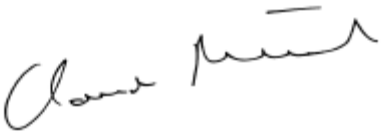

Claude Menard
Professsor of Economics, University of Paris

U – PANTHÉON - SORBONNE – NIVERSITÉ PARIS 1

Bai Mass Taal
Executive Secretary, African Ministers' Council on Water

Every drop counts
Count every drop
African Ministers' Council on Water

Roberto Olivares
General Director, National Association of Water and Sanitation Utilities of Mexico

ANEAS
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México

Peter Glas
President, Dutch Water Authorities

María Ángeles Ureña Guillem
President, Júcar River Basin Authority - Spain

Martin Guespereau
Director general, Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse - France

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Gaia Checcucci)

Gaia Checcucci
Secretary General, Arno river Basin Authority - Italy

Franco Becchis
Scientific Director, Turin School of Local Regulation - Fondazione per l'Ambiente

Neil Dhot
Secretary General, EurEau

Ursula Schaefer-Preuss
Chair, Global Water Partnership

Corné Nijburg
Director, Water Governance Centre

J. Carl Ganter
Managing Director, Circle of Blue

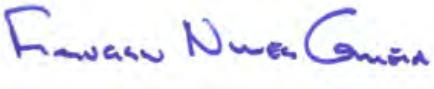

Francisco Nunes Correia
President, Portuguese Water Partnership

Fernando Morcillo
President, Spanish Association of Water Supply and Sanitation

Joppe Cramwinckel
Water Director, World Business Council for Sustainable Development

Frédéric Molossi
President, Association française des EPTB

Gonzalo Robles Orozco
Vice-President, Spanish Agency for International Cooperation for Development

Philippe Maillard
President, FP2E

LES ENTREPRISES DE L'EAU

Francisco Cabezas
General Director, Fundación IEA

Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua

Luigi Carbone
Commissioner, Regulatory Authority for Electricity and Gas and Water System - Italy

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

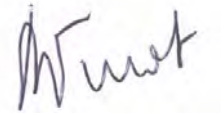

Antoine Frérot
CEO, Véolia

VEOLIA

H.F.M.W. van Rijswick
Professor, Utrecht University

Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law

Jean-Louis Chaussade
CEO, Suez Environnement

suez environnement

Jaime Baptista
President, Water and Waste Services Regulation Authority - Portugal

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos

Xavier Ursat
Member of the Governing Board, EDF

Geert Teisman
Professor, Erasmus University

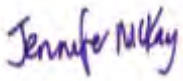

Jennifer McKay
Director, Centre for Comparative Water Policies and Laws, University of South Australia

Mohamed Boussraoui
Executive Officer, United Cities and Local Governments

Stefano Burchi
Chairman of the Executive Council, International Association for Water Law

Faraj El-Awar
Programme Manager, Global Water Operators Partnerships Alliance

Jean-Philippe Bayon
Coordinator, UNDP Global Water Solidarity

Jean Launay
President, National Committee on Water – France

Michel Lesage
Deputee, French National Assembly

Bernard Barraqué
Emeritus Research Director, Centre International de Recherche de l'Environnement et de Développement

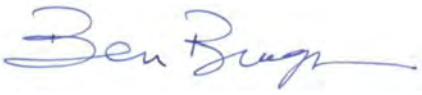

Benedito Braga
President, World Water Council

Yasmin Sidiqqi
Principal Water Resources Specialist, Asian Development Bank

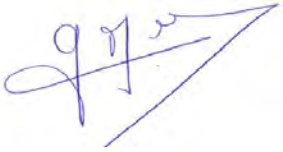

Gérard Mestrallet
CEO, GDF-Suez

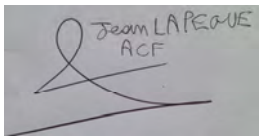

Jean Lapegue
Senior WASH Advisor, ACF-France

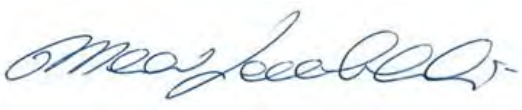

Marco Lambertini
Director General, WWF International

विस्तृत अध्ययन के लिए

OECD (2015a), *Water Governance in Brazil*, OECD Studies on Water, OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/9789264238121-en

OECD (2015b), *Stakeholder Engagement for Inclusive Water Governance*, OECD Studies on Water, OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/9789264231122-en.

OECD (2015c), *The Governance of Water Regulators*, OECD Studies on Water, OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/9789264231092-en.

OECD (2015d), *Water and Cities: Ensuring Sustainable Futures*, OECD Studies on Water, OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/9789264230149-en.

OECD (2014), *Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?*, OECD Studies on Water, OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/9789264102637-en.

OECD (2014), *Water Governance in Jordan: Overcoming the challenges to private sector participation*, OECD Studies on Water, OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/9789264213753-en.

OECD (2014), *Water Governance in Tunisia: Overcoming the challenges to private sector participation*, OECD Studies on Water, OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/9789264174337-en.

OECD (2013), *Making Water Reform Happen in Mexico*, OECD Studies on Water, OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/9789264187894-en.

OECD (2012a), *OECD Environmental Outlook to 2050*, OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/9789264122246-en.

OECD (2012b), *Water Governance in Latin America and the Caribbean: A Multi-level Approach*, OECD Studies on Water, OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/9789264174542-en.

OECD (2011), *Water Governance in OECD Countries: A Multi-level Approach, OECD Studies on Water*, OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/9789264119284-en.

अधिक जानकारी के लिए

संपर्क :अजीजा अखमोच, हेड ऑफ द ओईसीडी वाटर गवर्नेंस

प्रोग्राम ईमेल : water.governance@oecd.org

फोन नंबर : + 33 1 45 24 76 86

हमारी वेबसाइट: http://www.oecd.org/regional/water

OECD SMEs, Regions, Cities & Tourism (@OECD_local #OECDwater)

अनुवाद [**इंडिया वाटर पोर्टल** हिन्दी; **अर्घ्यम्** संस्था की एक पहल].

ओईसीडी प्रिंसिपल ऑन वाटर गवर्नेंस, 2015 के शीर्षक के तहत मौलिक प्रकाशन.

मौलिक और अनूदित आलेख में किसी तरह के अन्तर्विरोध होने की स्थिति में मौलिक कृति को मानक माना जायेगा.

BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES